

अधियाचन प्रपत्र-1

1. (क) पद का नाम-

(ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हां तो यह पद कब सृजित किया गया था-

(ग) भरे जाने वाले पदों की संख्या-

1. उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए-
2. उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए-
3. उत्तराखण्ड के अधिवासी पिछड़ी जाति-
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-
5. उत्तराखण्ड के अधिवासी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए-
6. उत्तराखण्ड के अधिवासी महिलाओं के लिए-
7. उत्तराखण्ड के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-
8. उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए-
9. उत्तराखण्ड के अधिवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए-
- (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से संबंधित अभ्यर्थी के लिए-
- (ख) श्रवण ह्रास से संबंधित अभ्यर्थी के लिए-
- (ग) चलन क्रिया संबंधी निःशक्त या प्रमस्तिष्कीय अभ्यर्थी के लिए-
10. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए-
11. उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के लिए-
12. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिए-

टिप्पणी- क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार है ? यदि हां तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाए-

रोस्टर क्रमांक-

- (क) अनुसूचित जाति—
- (ख) अनुसूचित जनजाति—
- (ग) अन्य पिछड़ी जाति—
- (घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—
- (ङ) सामान्य—

(घ) यदि यह पद नया नहीं है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है—

1. क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है।—
2. यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है—
3. क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हां तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाय—
4. यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें, जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी—

(क) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है—

(ख) सेवा का नाम यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है—

(ग) क्या उस पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गई है—

(घ) यदि नहीं, तो क्या नियुक्ति ख' विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—
26/28/65 दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक विज्ञप्ति की संख्या और दिनांक बतायें—

2. राजपत्रित या अराजपत्रित—

3. यदि पद स्थाई है अथवा अस्थायी, यदि अस्थायी है तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा—

4. क्या पद पेंशन युक्त है अथवा बिना पेंशन का—

5. परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो—

6. कर्तव्य—

7. चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा—

8. वेतनमान— बढ़ाया गया, क्या प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है यदि हां तो किस हद तक।
9. वेतनमान—
10. कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, रोशनी, पानी—
11. अपेक्षित अर्हताएं—
 - (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मिलित हैं—
 - (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो—
 - (ग) कोई अन्य अर्हतायें—
 - (घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती हैं, तो वह किसी हद तक ऐसा किया जा सकता है—
 - (ङ) क्या समकक्ष अर्हतायें स्वीकार की जायेंगी यदि हां तो समकक्ष अर्हताएं बताईये—
12. आयु सीमायें—
 - (क) निम्न आयु सीमा—
 - (ख) उच्च आयु सीमा—(यह बताईये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है, तो कितना)।—
13. राष्ट्रीयता—
14. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, यदि हां तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा उन शर्तों को बताईए जो उनके पक्ष में शिथिल की जाएंगी—
15. कोई अन्य शर्तों अथवा अर्हता जो उपयुक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती—

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर—

नाम—

पदनाम—

विभाग का नाम—

अधियाचन प्रपत्र (संख्यात्मक)—2

पद का नाम—

पदों की संख्या—

रिक्त पदों का श्रेणी / उपश्रेणीवार आरक्षण का विवरण:—

श्रेणी	कुल रिक्त पद	उपश्रेणीवार आरक्षण का विवरण						
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 02%	भूतपूर्व सैनिक 05%	अनाथ 05%	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी 04%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित 10%	दिव्यांग 04%
अ0जा0								
अ0ज0जा0								
अ0पि0व0								
आ0क0व0								
अनारक्षित								
योग								

* शासनादेश संख्या: 48 / XVII—A—3 / 2023—01(11) / वि0क0 / 2017 दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार दिव्यांगजन हेतु विभागवार एवं पदवार पदों का पुर्नचिन्हांकन किया गया है। कृपया तदनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख करें—

अधियाचन प्रपत्र तैयार करने
वाले पटल प्रभारी का नाम—
पदनाम—
मोबाइल नं0—

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर—
नाम—
पदनाम—
मोबाइल नं0—
विभाग की E-Mail ID—
विभाग का पूर्ण पता—